796

संख्या 139 / XXXIV / 2015 / 15 / 2008

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व, शहरी विकास, सेवायोजन एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग   देहरादून 31 मार्च, 2015

विषयः– राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना की ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रमाणपत्रों एवं अन्य नागरिक सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रमाणपत्रों एवं नागरिक सेवाओं को उत्तराखण्ड में स्थापित विभिन्न ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्र एवं कामन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या कमशः 266 / XXXIV / 2013 / 15 / 2008, दिनांक 20.07.2013 संख्या– 267 / XXXIV / 2013 / 15 / 2008, दिनांक 20.07.2013, संख्या– 268 / XXXIV / 2013 / 15 / 2008दिनांक 20.072013,संख्या– 269 / XXXIV / 2013 / 15 / 2008 दिनांक 20.07.2013 तथा शासनादेश संख्या– 305 / XXXIV / 2013 / 15 / 2008 दिनांक 29.8.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों एवं अन्य नागरिक सेवाओं को प्रारम्भ में छः माह तक वर्तमान गैर कम्प्यूटरीकृत प्रकिया व पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत प्रकिया के साथ–साथ कियान्वित रहने एवं उसके उपरान्त गैर कम्प्यूटरीकृत प्रकिया समाप्त किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

2. उक्त के कम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्णित शासनादेशों में अंकित सेवाओं को अब पूर्ण रूप से केवल कम्प्यूटरीकृत माध्यम से ही नागरिकों को उपलब्ध कराया जाय। इस हेतु अपनाये जाने वाली प्रकियान्तर्गत सी0एस0सी0 / डी0ई0जी0एस0 केन्द्र संचालन आवेदक से निर्धारित प्रमाण पत्र के साथ ही अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में वांछित मूल प्रमाण–पत्रों / अभिलेख के साथ ही उसकी स्वप्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त कर उनका मिलान करेंगे। स्वप्रमाणित प्रतियों को स्कैन (SCAN) कर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा मूल प्रमाणपत्र / अभिलेखों को आवेदक को वापस कर देंगे। इस प्रकिया के लागू होने पर केन्द्र संचालक / सक्षम प्राधिकारी के पास भौतिक रूप में अभिलेखों का संचरण समाप्त हो जायेगा।

3. इन नागरिक सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट सेन्टर / कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से जनसामान्य को केवल कम्प्यूटरीकृत एवं डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे। इस प्रकार सेवा प्रदाता के रूप में इन ई–डिस्ट्रिक्ट सेन्टर / कॉमन सर्विस सेन्टर को "देवभूमि जनसेवा केन्द्र" के नाम से जाना जायेगा।

4. इसके अतिरिक्त इस सम्बंध में पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेशों की अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

अतः विषयगत सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रवि शंकर)
मुख्य सचिव।

Dy-824 Date 27/3/2015

संख्या 139 /XXXIV/2015/15/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण,उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
8. निदेशक, शहरी विकास विभाग/सेवायोजन विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
9. एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड इकाई, देहरादून को स्टेट प्रोर्टल पर प्रकाशित करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

IT-GO-2015-N